

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

छोटू पंचारिया बनाम तहसीलदार बापिणी
अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 05/2025 Gcms No. 2025/31	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नैनु राम विश्णोई अप्रार्थीगण संख्यां (01)की ओर से :- राज-पैरोकार। अप्रार्थी की ओर से :- स्वयं उपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">-: निर्णय :- दिनांक :- 19/11/2025</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 901 रकबा 5.2690 हैक्टेयर व ग्राम नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 698 रकबा 4.2411 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 730 रकबा 8.6603 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 901 नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 698 में छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा ग्राम नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 729 एवं 730 में दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भूमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में नाम छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमाबन्दी में नाम सही एवं दुरुस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक नाम के मुताबिक जमाबन्दी में छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल दर्ज करना भु-अभिलेख अधिकारी का दायित्व है परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी।</p> <p>हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट एवं मियुटेशन की प्रति प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 1049 व 355 में प्रार्थी खातेदार भूमि में दर्ज हुआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से में जमाबन्दी में छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं।</p> <p>वर्तमान चालु जमाबन्दी में छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल सही नाम दर्ज किया जाना व सह-खातेदारान् ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर उचित बताया है। तथा</p>	

सहायक कलेक्टर बापिणी

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल से छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल किया जाना है तथा जांच रिपोर्ट के तहत छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुऐ जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल से छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल कर सही किया जावें और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 901, नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 698 में छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा ग्राम नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 729 एवं 730 में दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्टि हो गयी। तथा उक्त खसरे की जमीन में छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल दर्ज सही कर करने की मौका फर्द पर सह-खातेदार ने हस्ताक्षर कर ईकबालिया जबाब एंव प्रार्थी के आधार कार्ड अनुसार भुमि में नाम परिवर्तित कर सही किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिपोर्टों के अनुसार प्रार्थी का नाम छोटमल पुत्र मोहनलाल तथा दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल के स्थान पर छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में छोटू पंचारिया पुत्र मोहनलाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करे। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं सहायक बापिणी
सहायक कलेक्टर बापिणी